कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001
Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 02 / 2023–24 / 301 दिनांकः 16 अप्रैल, 2025

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में समूह 'ग' के अन्तर्गत ट्यूटर (नर्सिंग) के रिक्त 31 पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 02 / 2023–24 / 936, **दिनांक– 20 नवम्बर, 2023** के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में समूह 'ग' के अन्तर्गत ट्यूटर (नर्सिंग) के रिक्त 31 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 02 / 2023–24 / 96, दिनांक– **01 फरवरी 2025** द्वारा ट्यूटर (नर्सिंग) के रिक्त 31 पदों पर चयन हेतु दिनांक– **20 अक्टूबर 2024** (रविवार) को आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का विवरण जारी किया गया तथा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 02 / 2023–24 / 162, दिनांक– **21 फरवरी 2025** द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी।

02– लिखित परीक्षा में सामान्य (**UR**), अन्य पिछड़ा वर्ग (**OBC**) एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (**EWS**) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने लिखित परीक्षा में 87.75 अंक अथवा 87.75 से अधिक अंक प्राप्त किये हो तथा अनुसूचित जाति (**SC**) एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी (**ST**) के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने लिखित परीक्षा में 68.25 अंक अथवा 68.25 से अधिक अंक प्रापत किये हो, को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 06 मार्च 2025 तथा अभिलेख सत्यापन में किन्ही कारणों से अनुपास्थित होने पर दिनांक 01 अप्रैल 2025 को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के उपरान्त विज्ञापन में उल्लिखित वांछित / अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने तथा अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने तथा अन्य कारणों से अनर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 02 / 2023–24 / 272,दिनांक– **02 अप्रैल 2025** द्वारा जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी अनर्हता / अभ्युक्ति / अनुपस्थिति के सापेक्ष प्रत्यावेदन करने दिनांक– **05 अप्रैल 2025** सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था।

03– उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति	अंतिम निर्णय (यदि प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो)
1	8024022085	**अनर्ह–** अभ्यर्थी के पास अनिवार्य वांछिक अर्हता बी0एस0सी0 (नर्सिंग) / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के साथ 01 वर्ष का अनुभव नहीं है। अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर 2023 तक निर्गत वैध / नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरानत निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को ट्यूटर (नर्सिंग) पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

2. अनुक्रमांक 8024021003, 8024021078, 8024021151, 8024021176, 8024021994 तथा 8024022511 अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 05 मार्च 2025 को बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित रहे है तथा पुनः दिनांक 01 अप्रैल 2025 को अवसर देने के उपरान्त भी बिना कोई कारण बताये अनुपस्थित रहे है और अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी अनर्हता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अनुक्रमांक 8024021003, 8024021078, 8024021151, 8024021176, 8024021994 तथा 8024022511 के अभ्यर्थियों को ट्यूटर (नर्सिंग) परीक्षा– 2023 में अंतिम रुप से **अनर्ह** घोषित किया जाता है।

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।